136

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

छीतर बनाम भगवान

तारीख हुक्म	148/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/01/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 3 लगा. 6 की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलार्थीगण/वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 24/02/2022 पारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 लगा. 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 स्वीकार कर वादिया का वाद विधि के प्रावधानों एवं नियमो के विरुद्ध पेश किया जाना धारित करते हुए ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती के प्रश्नाधीन वाद को सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर ख़ारिज कर दिया गया, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाहिर होता है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज का बिन्दु तय करने हेतु तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर तनकीवार साक्ष्य-सबूत का परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही तथ्यों का विवेचित किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वादी के वाद को ख़ारिज करने में अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

छीतर बनाम भगवान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/02/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर